संख्या–991 /II-2017-03(02)/2014TC

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

लघु सिंचाई अनुभाग, देहरादून, दिनांक: 15 दिसम्बर, 2017

विषय :– रेशनलाईजेश ऑफ माइनर इरीगेशन योजनान्तर्गत 07–मानदेय मद में व्यपगत हुई धनराशि के पुनः उपयोग/पुनर्वैध किये जाने एवं धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–69/ल0सिं0/सां0सेल/बजट/2017–18, दिनांक 02.11.2017 द्वारा चालू रेशनलाईजेश ऑफ माइनर इरीगेशन योजनान्तर्गत 07–मानदेय मद में ₹ 698647.00 की धनराशि आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उल्लेखनीय है कि पूर्व में आपके पत्र संख्या–03/ल0सिं0/सा0सेल/बजट/2017–18 दिनांक 11.04.2017 द्वारा वित्तीय 2015–16 में जनपद पिथौरागढ़ तथा जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत रेशनलाईजेश ऑफ माइनर इरीगेशन योजनान्तर्गत 07–मानदेय मद में सरप्लस (व्यपगत) हुयी धनराशि कुल ₹ 1,63,600.00 के पुनः उपयोग/पुनर्वैध किये जाने का अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिस क्रम में अवगत कराना है भारत सरकार के पत्र संख्या–V-57/28/2014-MI(Stat.)/960 दिनांक 23.10.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 की अवशेष बचतों की धनराशि को जोड़ते हुए कुल ₹ 698647.00 धनराशि को कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान कर दी गयी है।

3– उपरोक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 में जनपद पिथौरागढ़ तथा जनपद ऊधमसिंह नगर में सरप्लस (व्यपगत) हुई धनराशि ₹ 1,63,600.00 के पुनः उपयोग/पुनर्वैध किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने एवं उक्त योजना के 07–मानदेय मद में कुल मांग धनराशि ₹ 6,98,647.00 के सापेक्ष धनराशि ₹ 5,35,047.00 को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय किश्तों में वास्तविक व्यय, आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा।
2. उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि में से अवचनबद्ध मदों के सम्बन्ध में प्रत्येक दशा व प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जायेगी और तद्नुसार प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।
3. सभी वित्तीय स्वीकृतियां सही अनुदान संख्या/लेखाशीर्षक इंगित करते हुए ही निर्गत की जाय। जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे, उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्य किया जाय।
4. बजट नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष द्वारा बी0एम0–10 प्रारूप में बजट नियंत्रण पंजिका (Budget control register) में उपलब्ध बजट तथा अधीनस्थ

अधिकारियों / आहरण वितरण अधिकारियों को आवंटित बजट का विवरण रखा जायेगा। इस सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष / बजट नियंत्रक अधिकारी, जिनके नमूना हस्ताक्षर समस्त कोषागारो में परिचालित हों, के हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन धनराशियां जारी की जाय, अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान न किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

5. बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचनायें समय से भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय, जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6. प्रशासनिक / बजट नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत पक्ष में बजट प्राविधान, अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का नियमित लेखा जोखा रखा जाय एवं मासिक आधार पर इसका महालेखाकार से मिलान करते हुए मिलान का प्रमाणित विवरण वित्त अनुभाग–1 तथा बजट निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा।

7. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–20 के अधीन, लेखाशीर्षक–2702–लघु सिंचाई–80–सामान्य–005–सर्वेक्षण तथा अन्वेषण–02–रेशनलाईजेशन ऑफ माइनर इरीगेशन–07–मानदेय मद के नामे डाला जायेगा।

9. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–610 / 3(150)XXVII(1) / 2017 दिनांक 30.06.2017 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न–अलाटमेंट आई0डी0

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव

संख्या 995 (1) / II–2017–03(02) / 2014 टीसी तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी / कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, देहरादून, ऊधमसिंह नगर एवं पिथौरागढ़।
5. कोषाधिकारी, देहरादून, ऊधमसिंह नगर एवं पिथौरागढ़।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, उत्तराखण्ड।
7. वित्त विभाग (वित्त अनुभाग–1 व 4), उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव